न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2837-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-7-2012- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 15/2011-12 निगरानी

1- बैजनाथ पुत्र पन्नालाल
2- शिवदयाल पुत्र पन्नालाल
निवासीगण ग्राम कतरौल
तहसील मेहगॉव जिला भिंड ---आवेदकगण

विरूद्ध

कमलादेवी (फोत) पत्नि मेवाराम
वारिस
1- महावीर 2- राजकुमार पुत्रगण
मेवाराम मुरैना रोड, मेहगॉव जिला भिंड, ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 15/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय कमलादेवी पत्नि मेवाराम ने ग्राम कतरौल स्थित कुल किता 8 कुल रकबा 8.26 में से हिस्सा 1/2 पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु तहसीलदार मेहगॉव को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से प्रकरण क्रमांक 13/04-05 अ-6 पॅजीबद्ध

कर कार्यवाही प्रारंभ हुई। पेशी 6-1-09 को पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया गया, किन्तु संहिता की धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत होने पर अंतरिम आदेश दिनांक 30-4-10 से प्रकरण पुर्नस्थापित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 59/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-11-2011 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 15/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2012 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 59/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-11-2011 के पद 5 में विवेचित किया है कि रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अनावेदक अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरबी में समाप्त किया गया है। न्यायदान की दृष्टि से अभिभाषक की त्रृटि के लिये संबंधित पक्षकार को न्याय से बंचित नहीं किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन आदेश से निगरानीकर्तागण के स्वत्वों का किसी प्रकार से हनन होना भी प्रमाणित नहीं है क्योंकि दोनों ही पक्षकारों को अपना अपना पक्ष समर्थन करने के लिये पर्याप्त अवसर है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 19-7-2012 में निष्कर्ष दिया है कि रेवेन्यू निर्णय 1985 पृष्ठ 23 मीरा लोचन विरूद्ध कुँअरवाई में यह अभिनिर्धारित है किया है कि न्यायहित में मामला नंबर पर लिया गया या वकील की त्रृटि का पक्षकार पर कुप्रभाव नहीं पड़ने दिया गया। तहसीलदार मेहगॉव के प्रकरण क्रमांक 13/04-05 अ-6 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने इस प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 12-9-2012 पारित करके नामान्तरण के मामले का अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके

कारण विचाराधीन निगरानी में कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 19-11-2011 एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 19-7-2012 में एकरूपता लिये हुये निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 15/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर